यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-2 श्रीनगर** के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-2 श्रीनगर** के माह 11/2017 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ ) द्वारा दिनांक 12/11/2020 से 27/11/2020 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I
## (इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी)

1. वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2017 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला –पौड़ी गड़वाल के अंतर्गत विकास खंड है।
3. (i) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख मे )

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | शासन को समर्पित राशि / अवशेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | स्थापना (समर्पित) | गैर स्थापना (अवशेष) |
| 2017-18 | | - | 28.10 | 19.64 | 464.36 | 436.97 | | |
| 2018-19 | | - | 172.43 | 155.03 | 1552.99 | 1317.27 | | |
| 2019-20 | | - | 7.91 | 7.83 | 1710.13 | 1548.44 | | |
| 2020-21 | | - | 3.60 | 2.15 | 1310.95 | 941.07 | | |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय अधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | पी एम जी एस वाई | | 464.36 | 436.97 | |
| 2018-19 | ,, | | 1552.99 | 1317.27 | |
| 2019-20 | ,, | | 1710.13 | 1548.44 | |
| 2020-21 | ,, | | 1310.95 | 941.07 | |

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "A" है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

**तकनीकी संवर्ग मे:**

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र,
(5) मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, (6) अधीक्षण अभियंता, मसूरी
(7) अधिशासी अभियंता (8) साहयक अभियंता
(9) कनिष्क अभियंता

**गैर तकनीकी संवर्ग मे :**

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड-2 श्रीनगर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई सिचाई खंड-2 श्रीनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2018 एवं 3/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा डाबखाल से ऊनेरी मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2017 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य निरीक्षण किया गया।
5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई ।

# भाग-II (ब)

## प्रस्तरः1- सड़क निर्माण कार्य में 133.10 टन के गलत फार्म J संलग्न करने एवं भुगतान किये गये बिलों से ` 4,25,186.62 की जी0एस0टी0 की कटौती न किया जाना।

आर0सी0 (FEMS-346471) दिनांक 13.04.2017 एवं तदोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक 781/पी-1-32(Phase-XIV)/यू0आर0आर0डी0ए0/17 दिनांक 09.05.2017 के द्वारा प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना फेज-XIV के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में पैकेज संख्या यू0टी0-08-24 के अन्तर्गत बसड़ा से बूंगा मोटर मार्ग स्टेड-I एवं II के 9.95 किमी0 लम्बे मार्ग के लिये कुल ` 752.09 लाख (` 676.43 लाख निर्माण हेतु + ` 75.66 लाख अनुरक्षण हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

मुख्य अभियन्ता स्तर-II के पत्रांक 2000/08(160)याता/2017-18 दिनांक 22.09.2017 के द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के लिये ` 676.42 लाख (निर्माण) + ` 75.50 लाख (अनुरक्षण) = कुल ` 751.92 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त निर्माण कार्य के लिये दिनांक 27.11.2017 को मेसर्स के0बी0एम0 कन्सट्रक्शन देहरादून के साथ ` 714.63 लाख (` 630.87 लाख (निर्माण)+` 83.76 लाख (अनुरक्षण)) का अनुबंध गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि 01.12.2017 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 31.08.2018 थी।

लेखाअभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य स्वीकृति समयवृद्धि के साथ मार्च 2019 में पूर्ण कर लिया गया था तथा साथ ही उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आयेः

1. उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में रायल्टी के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित Form-J निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद के संलग्न पाये गये।

| क्र.स. | फार्म जे0 संख्या | दिनांक | धनराशि ( ` में) | खनिज सामग्री (टन में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IJ00451011357 | 29.06.2019 | 5040 | 08 |
| 2. | IJ00451011350 | 28.06.2019 | 5040 | 08 |
| 3. | IJ00451011351 | 28.06.2019 | 4914 | 7.80 |
| 4. | IJ00451011339 | 27.06.2019 | 5040 | 8.00 |
| 5. | IJ00451011338 | 27.06.2019 | 5418 | 8.60 |
| 6. | IJ00451011323 | 23.06.2019 | 5418 | 8.60 |
| 7. | IJ00451011322 | 23.06.2019 | 5040 | 8.00 |
| 8. | IJ00451011310 | 21.06.2019 | 5418 | 8.60 |
| 9. | IJ00451011311 | 21.06.2019 | 4536 | 7.20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. | IJ00451011304 | 20.06.2019 | 5418 | 8.60 |
| 11. | IJ00451011423 | 11.07.2019 | 5388 | 8.50 |
| 12. | IJ00451011369 | 01.07.2019 | 5355 | 8.50 |
| 13. | IJ00451011406 | 07.07.2019 | 5355 | 8.50 |
| 14. | IJ00451011414 | 09.07.2019 | 5418 | 8.60 |
| 15. | IJ00451011410 | 08.07.2019 | 5418 | 8.60 |
| 16. | IJ00090014925 | 29.06.2019 | 7087 | 9.00 |
| | | | | **133.10** |

इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में 133.10 टन निर्माण सामग्री के फार्म J निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद के संलग्न पाये गये।

2. उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग के आदेश संख्या XXVII(6)/एक/398/2006/18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से माल और सेवा कर (GST) की नवीन प्रणाली में किसी संविदा के अधीन सप्लायर को दिये गये ` 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2 प्रतिशत (1%CGST एवं 1%SGST) स्त्रोत पर कर की कटौती की जायेगी।
लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ईकाई द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2018 के बाद भुगतान किये गये निम्नलिखित चालू बिलों में भुगतान के सापेक्ष 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती ठेकेदार के बिलों से नहीं की गयी थी।

| **चालू बिल संख्या** | **बिल की धनराशि** | **2% जी.एस.टी. की राशि** |
|---|---|---|
| VI$^{th}$ | 58,83,102.87 | 1,17,662.00 |
| VII$^{th}$ | 9,59,070.00 | 19,181.40 |
| VIII$^{th}$ | 46,79,661.10 | 93,593.22 |
| IX$^{th}$ | 97,37,509.37 | 1,94,750.00 |
| | **योग** | **4,25,186.62** |

इस प्रकार इकाई द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2018 के बाद भुगतान किये गये बिलों पर ` 4,25,186.00 (2 प्रतिशत GST) की कटौती ठेकेदार के बिलों से नहीं की गयी थी।
सम्प्रेक्षा द्वारा 1 एवं 2 इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जांच कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार इकाई द्वारा सड़क निर्माण कार्य में रायल्टी के सापेक्ष 133.10 टन निर्माण सामग्री के गलत फार्म J संलग्न करने एवं भुगतान किये गये बिलों से ` 4,25,186.62 की जी0एस0टी0 की कटौती न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-II (ब)

**प्रस्तर:2 - ठेकेदार द्वारा निविदा मे दी गयी दरो से अधिक दरो पर भुगतान किए जाने के कारण ठेकेदार को ` 1,45,778/- का अदेय लाभ दिया जाना एवं वन भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अपूर्ण कार्य पर ` 647.98 लाख का व्यय किया जाना ।**

वित्तीय नियम यह प्रावधानित करते है कि सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि सम्यक रूप से हस्तान्तरित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज –XVI के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल मे पैकेज संख्या UT-873 के अंतर्गत ढाबखाल-बुलेखा मोटर मार्ग स्टेज-I के कार्य हेतु (किमी0 लंबाई 14.434) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्रांक (329पी/34-1Phase-XVI/18/यूआरआरडीए) दिनांक 14.05.2018 द्वारा निर्माण कार्यो हेतु ` 865.20 लाख एवं अनुरक्षण मद हेतु ` 33.44लाख की प्रदान की गयी। जिसमे Hill side cutting, Protection work, Cross drainage work एवं Hill side drain प्रावधान किए गए थे। उक्त मार्ग के स्टेज 1-कार्य के निष्पादन हेतु मुख्य अभियंता स्तर से निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाता मैसर्स अनुशमन कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लि. के साथ ` 849.82 लाख ( ` 827.64 लाख निर्माण + रु 22.18 लाख अनुरक्षण) लागत का अनुबन्ध संख्या 105/UT-0873(I)URRDA/2018-19 दिनांक 01.11.2018 : गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 06.11.2018 व समाप्ति की तिथि 05.05.2020 थी। किन्तु उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्य पर छठवे चालू देयक के अनुसार रु 647.98 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद कार्य अभी तक पूर्ण नही किया गया था। लेखो की जांच मे यह भी पाया गया कि उक्त मार्ग मेअभि 1.277 है० वन भूमि की सैद्धांतिक एवं विधिवत स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही माह 11/2018 को अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। जिसमे वन भूमि की विधिवत स्वीकृति अभी भी अपेक्षित थी। स्टेज-I का कार्य अभी भी पूर्ण नही किया जा सका था जबकि स्टेज-I का कार्य समाप्त किए बिना ही माह 01/2019 को स्टेज-II की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर तथा मार्ग निर्माण हेतु GSB,G2,G3,एवं PC मदों का प्रावधान कर माह 05/2020 को स्टेज 2-का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। जिसके सापेक्ष ठेकेदार को ` 145.60 लाख का भुगतान किया जा चुका था। जबकि संबन्धित ठेकेदार द्वारा अभी तक स्टेज 1-का कार्य भी पूर्ण नही किया गया था, न ही लेखापरीक्षा तिथि तक उसका अंतमीकरण किया गया था।
2. विदित है कि ठेकेदार को किसी भी मद मे निविदा मे दी गयी दरो से अधिक दरो पर भुगतान नही किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि खंड द्वारा **item no. 08(Excavation in Foundation for Structure in all type of Soil & rock)** मे ठेकेदार द्वारा निविदा मे दी गयी दरो से रु **20/cum** की दर से अधिक भुगतान किया जा रहा

था। जिसके कारण इस मद मे छठवे देयक तक कुल ` 145778[1] - का अधिक भुगतान किया जा चुका था।

उपरोक्त प्रकरणों को सम्प्रेक्षा में उठाये जाने पर खण्ड ने बिन्दु (1) एवं (2) के सम्बन्ध मे अवगत करवाया कि वनभूमि की सैद्दंतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी तथा विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है जिसकी कार्यवाही की जा रही है । तथा ` 1,45,778/- के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया कि जाँचो उपरांत वसूली कर ली जाएगी। उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि वनभूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना नियमानुसार कार्य प्रारम्भ नही किया जाना चाहिए था, जिसकी विधिवत स्वीकृति अभी भी अपेक्षित थी तथा स्टेज-1 के कार्य पर ` 647.98 लाख का व्यय के बावजूद कार्य अभी भी अपूर्ण था, स्टेज-1 का कार्य पूर्ण किए बिना ही स्टेज-II का अनुबंध गठित कर कार्य कराया जा रहा था, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क याजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 8.5 के बिन्दु संख्या-VI(क) के अनुसार स्टेज-II का कार्य स्टेज-I के बाद बारिश के दो मौसम बीत जाने के बाद ही किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित दरो से अधिक का भुगतान कर ठेकेदार को अदेय लाभ दिया गया था। जिसकी वसूली लंबित थी।

अत: प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] **अनुबन्ध के अनुसार दर= रु 160/-, देयक के अनुसार दर = रु 180/- अंतर की राशि= रु 20/cum**
छठवे देयक **के अनुसार अभी तक निष्पादित मात्रा=** 7288.90 **cum** *20=रु 145778/-

## भाग-II (ब)

**प्रस्तर: 3-ठेकेदारो को ` 5.03 लाख का अदेय लाभ दिया जाना एवं ठेकेदारों को किए गए ` 72.72 लाख अग्रिम भुगतान की OMMAS मे प्रविष्टि न कर, कार्य पर वास्तविक व्यय से कम व्यय दर्शाना।**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज –XVI के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल मे पैकेज संख्या UT-862 के अंतर्गत नौगाँव से ईडा मोटर मार्ग स्टेज-I के कार्य हेतु (लंबाई 8.350 किमी०) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्रांक 2996/पी1-33(Phase-XVI)/ यूआरआरडीए/17 दिनांक 27.07.2017 द्वारा निर्माण कार्यो हेतु रु 524.03 लाख एवं अनुरक्षण मद हेतु ` 32.97 लाख की प्रदान की गयी। जिसमे Hill side cutting, Protection work, Cross drainage work एवं Hill side drain आदि के प्रावधान किए गए थे।

जिससे संबन्धित अभिलेखो की जांच (11/2020)मे पाया गया कि-:

i. अनुबन्ध मे संलग्न स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, ब्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, पर अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए। किन्तु उक्त कार्य हेतु गठित अनुबन्ध की जांच मे पाया गया कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही विभाग द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरुप 01 प्रतिशत की कटौती की गई। जबकि अनुबन्धित धनराशि ` 516.03 लाख के सापेक्ष 01 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि ` 5.16 लाख की कटौती उससे की जानी चाहिए थी।

ii. उक्त मार्ग के स्टेज 1-कार्य के निष्पादन हेतु मुख्य अभियंता स्तर से निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाता मैसर्स एम०एन०आर० कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लि .के साथ निर्माण ` 516.46 लाख (अनुरक्षण ` 12.81 लाख + ` 503.65 लाख) लागत का अनुबंध संख्या: 115/UT- 821(I)URRDA/2018-19

दिनांक: 26.11.2018 गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 03.12.2018 व समाप्ति की तिथि 02.03.2020 थी। किन्तु उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्य पर छठवे चालू देयक अनुसार ` 326.72लाख का व्यय किए जाने के बावजू द कार्य अभी तक भी पूर्ण नही किया गया था, न ही ठेकेदार पर अनुबंध की शर्तो के अनुसार कोई कार्यवाही की गयी। साथ ही अभिलेखो की जांच मे आगे यह भी पाया गया कि उक्त ठेकेदार को माह 12/2018 मे ` 72.72 लाख का मोबिलाईजेसन अग्रिम दिया गया था, किन्तु OMMAS मे उसकी प्रविष्टि नही की गयी। जिसके कारण ठेकेदार को वास्तविक भुगतान से लगभग ` 72.72 लाख का कम भुगतान प्रदर्शित हो रहा था।

प्रकरण को लेखापरीक्षा मे इंगित करने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा अभी तक इन्शुरेंस नही कराया गया है, इस संबंध मे ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा। साथ ही अग्रिम की प्रवष्टि न किए जाने के सम्बंध मे इकाई द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया। लेखापरीक्षा मे उत्तर मान्य नही था क्योकि ठेकेदारो द्वारा नियमानुसार इन्शोरेंस न करने पर, उसके बिलो से ` 5.16 लाख की वसूली की जानी चाहिए थी। जो नही की गयी। साथ ही ठेकेदार को किए गए ` 72.72 लाख के अग्रिम भुगतान की प्राविष्टि OMMAS मे न करने के कारण SRRDA/NRRDA को भी व्यय की सही जानकारी नही दी जा रही थी। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क याजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 16.3 के अनुसार पीआईयू/कार्यकारी अभियंता का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य की निरंतर प्रगति एवं भुगतान से संबन्धित समस्त डाटा अद्तन रहे।

अतः इन्शोरेंस की राशि ` 5.03 लाख की कटौती न किया जाना एवं ठेकेदार को किए गए ` 72.72 लाख अग्रिम भुगतान की OMMAS मे प्रविष्टि न कर, कार्य पर वास्तविक व्यय से कम व्यय दर्शाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।।

## भाग-II (ब)

**प्रस्तर:4- प्रतिकर एवं वनीकरण हेतु प्रावधानित धनराशि ` 71.42 लाख का भुगतान किए बिना निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना।**

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार पी एम जी एस वाई दिशा निर्देश पुस्तिका 2015 के नियम 6.12 व 9.3 के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -15 के अंतर्गत जनपद पौड़ी मे पैकेज संख्या यू टी -08-44 के अनुसार डाबखाल से उनरी मोटर मार्ग स्टेज -1 एवं 2 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकर्ति भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुई थी इसके बाद मुख्य अभियंता स्तर -1 पी एम जी एस वाई उत्तराखंड 6 इंदिरानगर देहरादून के पत्र 2940/08/(169) याता 2017 दिनांक 30.12.2017 के द्वारा 11.500 किमी लम्बाई मे ` 781.92 लाख सड़क निर्माण व 95.19 लाख अनुरक्षण हेतु स्वीकर्ति प्रदान की गयी थी इसके बाद इसके बाद इन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुबंध संख्या 80/CE-यूआरआरडीए/2017-18 का गठन दिनांक 09/02/18 को किया गया था अनुबंधित लागत ` 766.86+ 99.64 लाख निर्माण व 5 साल के अनुरक्षण हेतु निर्धारित की गयी थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 14/02/18 कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 13/2/19 थी। आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि - लेखापरीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य पर व्यय राशि ` 7,85,02,296 लाख थी,तथा ` 71.42 लाख का प्रावधान वनीकरण तथा प्रतिकर हेतु किया गया था इस राशि के व्यय किए जाने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे अर्थात प्रतिकर एवं वनीकरण पर व्यय किये बिना कार्य पूर्ण कर दिया गया था जो कि उपरोक्त नियमो के विरुद्ध था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि – यथाशीघ्र मुवावजा प्रकरण गठित कर वितरित कर लिया जाएगा।

अत: बिना प्रतिकर एवं वनीकरण हेतु प्रावधानित धनराशि ` 71.42 लाख के भुगतान किये बिना ही कार्य पूर्ण किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

## प्रस्तर :1- ` 539.82 लाख के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार
**Insurance 13.1** The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:
(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;
(b) loss of or damage to Equipment;
(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and
(d) Personal injury or death.
**13.2** Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.
**13.3 (a)** The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for personal injury or death which are due to the Contractor's risks:
**13.3 (b)** Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for approval before the completion date/start date.
**13.4** Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Employer.
**13.5** Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.
उपरोक्त नियमो के अनुपालन मे कार्यो का बीमा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि तक वैध होना आवश्यक है जिससे कि निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान शासन को न करना पड़े क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाए । लेखापरीक्षा मे

पाया गया कि- निम्नलिखित कार्य निर्माणाधीन है परंतु बीमा नहीं कराया गया था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया की ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा।

| **क्रम संख्या** | **कार्य का नाम** | **स्वीकृत राशि** | **व्यय राशि ` लाख मे** |
|---|---|---|---|
| 1 | Mansaun to mansaunyawar मोटर रोड स्टेज -1 | 186.00 | 125.19 |
| 2 | Sansaun तो mansaun इंटर कालेज मोटर रोड स्टेज -1 | 353.82 | 227.26 |

अत: निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

## भाग-III

इकाई की प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रथम लेखापरीक्षा थी अत: विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शून्य है।

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

**भाग-V**

**<u>आभार</u>**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड -2 श्रीनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (1) | श्री संदीप सिंह | अधिशासी अभियंता |

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक कोई भी खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद् नहीं रहे थे ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-2 श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषितकिया जाए।

**व. लेखापरीक्षा अधिकारी**
**ए.एम.जी.-II (Non-PSUs)**